

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/91803/FGH/FATEHGARH/317/CFO

दिनांक: 08-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **st. LAWRENCE PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **147,150,151,152,153,154,155,156,,NEAR I.T.I. CHAURAHA SHYAM NAGAR,FARRUKHABAD** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **10760 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4812.91** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
st L P S	3	0	11.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **st. LAWRENCE PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **11-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ABHINAV KANAUJIA** **shrijaiprakashcoldstorage2023@gmail.com 8279456077** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **11-08-2023** से **10-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **st. LAWRENCE PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **st. LAWRENCE PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1-All Fire Fighting must be in working condition as per G.O.18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0 Dated 07/01/2022 and a trained fire safety supervisor should be assigned these duties. 2-सेटबैक के सम्बंध में शासनादेश संख्या:18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0दिनांक:07/01/2022के अनुसार निर्णय लिया जाना सत्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है। 3-All the Escape routs must be kept cleared all the time and Electrical Safety Audit of premises is Mandatory. 4-Incase of any deviation found at the Site, the Issued Certificate will be Automatically Cancelled. 5-उपरोक्तानुसार अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखे जाने की शर्त पर आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAYPRAKAS TRIPATHI)

[F905AFE8368E4F519A2BF56225625AAC4B894500]

11-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-08-2023
स्थान : FATEHGARH